विषयः— हरियाणा सिविल सचिवालय में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जी0पी0एफ0 की स्टेटमैंट ऑनलाईन प्राप्त करने बारे।

....

कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2013—14 से भविष्य निधि खाते की स्टेटमैंट महालेखाकार, हरियाणा द्वारा जारी नहीं की जायेगी, क्योंकि अब उन द्वारा जी.पी.एफ. की स्टेटमैंट ऑनलाईन कर दी गई है। महालेखाकार, हरियाणा द्वारा सभी अधिकारी/कर्मचारी को पहले से जारी किये गए पिन नम्बर द्वारा महालेखाकार, हरियाणा की बेबसाईट http//www.aghr.gov.in. से जी.पी.एफ. स्टेटमैंट ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है। इसलिए जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के पास महालेखाकार द्वारा जारी किये गये पिन नम्बर नहीं है। वे अपना नाम, जी0पी0एफ0 नम्बर लेखा एवं विभाजन शाखा में दिनांक 31.12.2013 तक अवश्य भेज दे।

Saroj Bala

अधीक्षक लेखा एवं विभाजन शाखा,
कृते: संयुक्त सचिव (सामान्य) हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. मुख्य मंत्री/मंत्रियों तथा मुख्य ससंदीय सचिवों के सचिव/निजी सचिव।
2. मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव के सचिव, सभी वितायुक्त एवं प्रधान सचिव/ प्रशासकीय सचिव .के निजी सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव के निजी सचिव/निजी सहायक/ स्टैनों।
3. उपाध्यक्ष, 20 सूत्री कार्यक्रम के निजी सचिव।
4. सचिव/ सहायक सचिव, रक्षा शाखा।
5. अध्यक्ष स्वतंत्रता सैनानी बोर्ड के सचिव।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक,उपाधीक्षक एवं अनुभाग अधिकारी ।

अशा: कमांक 5/36/2013—8ए.पी. दिनांक 16-12-2013